A-4/1

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– यू0डी0खान
आई.ए.एस.

अपील संख्या 106 / 2020
नरेन्द्र पुत्र प्रभुदयाल, जाति ब्राह्मण, निवासी खुडाना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

—— अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चिडावा।

—— रेस्पोडेन्ट्

——

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बमुकदमा उनवानी सरकार बनाम नरेन्द्र, मुकदमा नं0 11 / 19 ता0 फैसला 27.05.2020

——

उपस्थित:–
1. श्री नयन कमल भारती, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी – राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 08.02.2021

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील तहसीलदार चिडावा के निर्णय दिनांक 27.05.2020 के विरूद्व मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। वकील अपीलान्ट के अनुसार अदालत मातहत ने ग्राम खुडाना स्थित जमीन खसरा नं0 53 मेसे 0.04 हैक्टेयर भूमि पर अतिकमी मानकर 9/– रूपये पैनल्टी व बेदखल किये जाने का निर्णय पारित किया। अदालत मातहत के खिलाफ अपीलान्ट की ओर से अपील निम्न प्रकार से प्रस्तुत है कि अदालत मातहत का निर्णय जैरबहस खिलाफ कानून, न्याय व पत्रावली है। अदालत मातहत ने मनमर्जी से बिना न्यायिक विवेचना व विधिक प्रावधानों के खिलाफ जाकर निर्णय पारित किया है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब पर बिना गौर किये उक्त निर्णय पारित किया है। कानून से निर्णय पारित करते समय गैरसायल द्वारा प्रस्तुत किये गये जबाब व पेश किये दस्तावेजों पर अदालत को फाइण्डिग देकर ही निर्णय पारित करना चाहिए था। जमीन हाल खसरा नं0 53 गत खसरा नं0 141 से बना है। उक्त गत खसरा नं0 141 आबादी भूमि रही है। उक्त तथ्य की ताईद जमीन जैर बहस के [illegible] है। जमीन जैर बहस आबादी भूमि है तथा उक्त भूमि पर अपीलान्ट का कब्जा पूर्व[illegible] से है। अपीलान्ट पर धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रावधान लागू [illegible] अदालत मातहत ने पटवारी हल द्वारा खसरा नं0 53 पर अपीला[illegible] अतिक्रमण बाबत दी[illegible] रिपोर्ट के आधार पर 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही प्रारम्[illegible] की थी। जबकि इसी बाबत पूर्व ने भी अपीलान्ट के पिता के खिलाफ भी अदालत मातहत ने तत्कालीन पटवारी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.17 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

रिपोर्ट पर 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही मुकदमा नं0 126/3 सरकार बनाम प्रभुदयाल मे ओपन की थी जिसमे अपीलान्ट के खिलाफ 91 की कार्यवाही ड्रोप कर जमीन जैरबहस को आबादी भूमि मानते हुए अपीलान्ट के पिता का पुराना कब्जा मानकर नियमन की सिफारिश को भी ऐसी सूरत मे अब पुनः अपीलान्ट पर 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही गलत व विधि विरूद्व है। कानून से एक ही वाद विषयवस्तु बाबत पूर्व मे हुए निर्णय के अस्तित्व मे रहते पुनः निर्णय पारित नही किया जा सकता। अदालत मातहत ने प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों की पालना नही की है। अदालत मातहत को प्रकरण मे पटवारी हल्का के सशपथ बयान करवाने चाहिए थे। पटवारी हल्का से अपीलान्ट जिरह करता। अतः अपीलान्ट की ओर से अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट मंजूर फरमाई जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 27.05.2020 खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट् ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट को ग्राम खुडाना स्थित भूमि ख0न0 53 जिसके पुराने ख0न0 141 है मे से 0.04 है0 भू पर अतिक्रमी माना है। उक्त भूमि आबादी भूमि है। उक्त आबादी भूमि मे अपीलान्ट सहित अन्य 8–10 परिवार आबाद है। आबादी भूमि पर लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 की धारा 91के प्रावधान लागू नही होते है। इसी भूमि बाबत पूर्व मे भी अपीलान्ट के पिता के खिलाफ भी अदालत मातहत ने तत्कालीन पटवारी की रिपोर्ट पर 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की कार्यवाही मुकदमा नं0 126/3 सरकार बनाम प्रभुदयाल मे ओपन की थी जिसमे अपीलान्ट के खिलाफ 91 की कार्यवाही ड्रोप कर जमीन जैरबहस को आबादी भूमि मानते हुए अपीलान्ट के पिता का पुराना कब्जा मानकर नियमन की सिफारिश की गई थी। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर प्रार्थी के विरूद्व निर्णय दिनांक 05.03.2020 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म बारानी द्वितीय की भूमि है जो राजकीय भूमि है। जिस पर अपीलान्ट ने चारदिवारी बनाकर अतिक्रमण कर रखा है जिसका अपीलान्ट को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नही है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्ट्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया। अदालत मातहत ने अपीलान्ट को ग्राम खुडाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 53 रकबा 0.04 हैक्टर के सम्पूर्ण रकबे पर अतिक्रमी माना है। उक्त के संबंध में अपीलान्ट मुख्य तर्क यह रहा है कि उक्त भूमि पूर्व में आबादी के रूप में दर्ज रिकार्ड रही है। अपीलान्ट का तर्क सही है कि भूमि पूर्व में आबादी के रूप में रिकार्ड में दर्ज रही है, परन्तु विवादित आराजी पूर्व में भी राजकीय भूमि दर्ज रिकार्ड रही है तथा वर्तमान में भी राजकीय भूमि के रूप में दर्ज रिकार्ड है। राजकीय भूमि पर किसी निजी व्यक्ति द्वारा कि[illegible] श्रेणी में आता है। अपीलान्ट ने अपने कब्जे की बाबत ऐसा कोई दस्तावेज न्याया[illegible] समक्ष प्रस्तुत नहीं किया है जिससे उसके द्वारा किये गये कब्जे को [illegible] अपीलान्ट का विवादित आराजी पर कोई मालिकाना हक नहीं है। अ[illegible]यालय के समक्ष रखने में विफल रहे है। उक्त समस्त तथ्यों के मध्य नजर हम अपीलान्ट [illegible] अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाना उचित समझते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.17 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

A-4/3

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अपील खारिज होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।रि कार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर फाईलिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

08/02/21

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Umar Deen Khan
Date: 2021.03.17 16:42:23 IST
Reason: SelfAttested